क्रम-संख्या—938

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर, 1993

पौष 9, 1915 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1699/सत्रह-वि-1-1(क) 25/1993

लखनऊ, 30 दिसम्बर 1993

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1993 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1993

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1993]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1989 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1993 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1989 में नई धारा 1-क का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1989 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

परिभाषायें "1-क--इस अधिनियम में,--

(क) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।"

धारा 2 का प्रतिस्थापन

3--मूल अधिनियम की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"2--(1) राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती

पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण

के प्रक्रम पर अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में रिक्तियों में सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों की किसी श्रेणी को लागू नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये भर्ती का वर्ष इकाई के रूप में लिया जायेगा न कि यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या :

परन्तु किसी भी समय आरक्षण यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या में, उपधारा (1) के अधीन नियत प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण--उपधारा (5) में उल्लिखित किसी व्यक्ति की गिनती इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए नहीं की जाएगी।

(3) यदि भर्ती के किसी वर्ष में, उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति बिना भरे रह जाती है तो अगले चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसी रिक्ति को नागरिकों के पिछड़े वर्गों में से विशेष भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिक्ति के, उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के या किसी अन्य कारण से बिना भरे रह जाने की दशा में उसे भर्ती के अगले वर्ष में इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया जा सकेगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये आरक्षण को सम्मिलित करते हुये रिक्तियों का कुल आरक्षण भर्ती के उस वर्ष में कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) यदि नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के लिये यथा निर्धारित समान मानकों पर चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।"

धारा 3 का प्रतिस्थापन

4--मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

"3--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई

कठिनाइयों को दूर करना

उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश, द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

3-क-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों को संशोधित कर

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति

सकती है और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना को यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।"

नई धारा 5 का बढ़ाया जाना

5--मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"5--इस अधिनियम की धारा 1-क, 2, 3 और 3-क के उपबन्ध ऐसे मामलों में प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया 11 दिसम्बर, 1993 के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के, जैसा कि वह उक्त दिनांक के पूर्व था, उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किये जायेंगे मानो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1993 अधिनियमित न हुआ हो।

अपवाद

नई अनुसूची-दो का बढ़ाया जाना

6--मूल अधिनियम की अनुसूची को अनुसूची-एक के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार संख्यांकित अनुसूची-एक के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"अनुसूची-दो

(धारा 2 देखिये)

1--निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री:--

(क) सीधी भर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा से पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य ; या

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई सदस्य, जो ऐसी सेवा में सीधी भर्ती से आया हो ; या

(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मन्त्रालय या ऐसे विभाग या मन्त्रालय के अधीन शैक्षिक, शोध या किसी अन्य संस्था के समूह "क"/श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (क) में सम्मिलित नहीं है ; या

(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह "क"/श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (ख) में सम्मिलित नहीं है ; या

(ङ) सशस्त्र सेना या अर्द्ध सैनिक बल का कोई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो :

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमास दस हजार रुपये या अधिक हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो।

2--चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेंट की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और सूचना व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कोचिंग इन्स्टीट्यूट चलाने वाले या शेयर या स्टाक दलाल या मनोरंजन के व्यवसाय में लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री :

परन्तु उसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो।

3--किसी व्यवसायी, जिसकी अनवरत तीन वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

4--किसी उद्योग पति, जिसकी चालू इकाइयों में विनियोजन का स्तर दस करोड़ रुपये से अधिक हो और ऐसी इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन में कम से कम पांच वर्षों से लगी हों और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

5--किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन नियत सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग आदि जैसे स्रोतों से किसी वित्तीय वर्ष में आय दस लाख रुपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

6—किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों में सम्मिलित न हो, जिसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम दस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री ।

निरसन और अपवाद

7—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1993 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
एन 0 के 0 नारंग,
सचिव ।

No. 1699 (2)/XVII-V-1—1(KA) 25-1993

Dated Lucknow, December 30, 1993

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Pichhre Vargon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1993 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 1993) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 29, 1993.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR BACKWARD CLASSES) (AMENDMENT) ACT, 1993

[U. P. ACT NO. 2 OF 1993]

(*As passed by the U. P. Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) (Amendment) Act, 1993.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 1993.

Insertion of new section 1-A in U. P. Act no. 21 of 1989

2. In the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989, hereinafter referred to as the principal Act, after section 1, the following section shall be *inserted*, namely—

Definition

"1-A. In this Act,—

(*a*) 'year of recruitment' means the period of twelve months commencing on the first of July".

Substitution of section 2

3. For section 2 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Reservation for Backward Classes

"2. (1) In public services and posts in connection with the affairs of the State, there shall be reserved twenty-seven per cent of vacancies at the stage of direct recruitment in favour of backward classes of citizens specified in Schedule I:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the category of backward classes of citizens specified in Schedule II.

(2) For the purposes of sub-section (1) an year of recruitment shall be taken as the unit and not the entire strength of the cadre or service, as the case may be:

Provided that at no point of time the reservation shall, in the entire strength of the cadre or service, as the case may be, exceed the percentage fixed under sub-section (1).

Explanation—A person mentioned in sub-section (5) shall not be counted for this proviso.

(3) If in any year of recruitment, any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled, efforts shall be made to fill such vacancy by sepcial recruitment from amongst the Backward Classes of citizens before the process for the next selection is started.

(4) In case the vacancy referred to in sub-section (3) remains unfilled due to non availability of suitable candidates or for any other reason it may be carried over to the next year of recruitment subject to the condition that the total reservation of vacancies, including vacancies for the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Uttar Pradesh Public Services(Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Act, 1993 shall not exceed fifty per cent of the total vacancies in that year of recruitment.

(5) If a person belonging to backward classes of citizens gets selected on the basis of merit in an open competition on the same standards as fixed for general candidates he shall not be adjusted against the vacancies reserved under sub-section (1).

Substitution of section 3

4. For section 3 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Removal of difficulties

"3. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) (Amendment) Act, 1993.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Power to amend Schedules

3-A. (1) The State Government may by notification, amend the Schedules and upon the publication of such notification in the *Gazette*, the Schedules shall be deemed to be amended accordingly.

(2) A notification issued under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act."

Insertion of new section 5

5. After section 4 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely : —

Savings

"5. The provisions of sections 1-A, 2, 3 and 3-A of this Act shall not apply in cases in which selection process has started before December 11, 1993 and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of this Act as it stood before the said date as if the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) (Amendment) Act, 1993 were not enacted."

Insertion of new Schedule II

6. The Schedule to the principal Act shall be numbered as Schedule I and after Schedule I as so numbered, the following Schedule shall be *inserted*, namely :—

"SCHEDULE II

(*See* section 2)

1. Son or daughter of—

(*a*) a member of Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service, Indian Forest Service or other Central Service whether directly recruited or promoted from any State Service ; or

(*b*) a member of Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch), Uttar Pradesh Police Service or other State Service, who has been directly recruited to such Service ; or

(*c*) such Group A/Class I officer of any Department or Ministry of Government of India or educational, research or other institutions under such Department or Ministry, who is not included in sub-category (*a*) ; or

(*d*) such Group A/Class I officer of any Department or institution of the State Government, who is not included in sub-category (*b*) ; or

(*e*) an officer of the defence forces or para military forces who is not below the rank of a Colonel or equivalent rank :

Provided that the income from salary of such member or service or officer is Rupees ten thousand or more per mensum, his spouse is at least a graduate and he or his spouse owns a house in an urban area.

2. Son or duaghter of a person engaged in profession as a doctor, surgeon, engineer, lawyer, architect, Chartered Accountant, media and information professional, management and other consultant, film artist and other film professional, running educational institution or coaching institute or engaged in the business as share or stock broker or in entertainment business :

Provided that his average income from all sources for three consecutive financial years is not lose than Rupees ten lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property work atleast Rupees twenty lakh.

3. Son or daughter of a business man whose average income for three consecutive financial years is not less than Rupees ten lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth atleast Rupees twenty lakh.

4. Son or daughter of a industrialist whose level of investment in running units is over Rupees ten crore and such units are engaged in commercial production for atleast five years and his spouse is atleast a graduate.

5. Son or daughter of a person who has holdings within the limit fixed under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, has an income of Rupees ten lakh in a financial year from sources other than agriculture such as salary, business or industry and the like and his spouse is atleast a graduate.

6. Son or daughter of a person, not included in any of the aforementioned categories, whose average income from all sources for three consecutive financial years is not less than Rupees ten lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth at least Rupees ten lakh.

Repeal and savings

7. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation of Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 1993 is hereby repealed.

U. P. Ordinance No. 2 of 1993

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० 73 सा० (विधा०)-(2756)--1993--850 (मेक०)।